राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

File No.:- F.59 DLB/STP/न.नि.कार्य.(73)/17/1251-68 दिनांक. 01-03-2017

–:कार्यालय आदेश:–

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में नगर नियोजन संबंधी कार्यो हेतु नगर नियोजन सहायक नियुक्त की गए है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक–10283 दिनांक–25.11.2016 के तहत् नव नियुक्त नगर नियोजको के विभिन्न नगरीय निकायो में पदस्थापना भी किया जा चुका है। चूंकि नगर पालिका सेवाओं के तहत् नगर नियोजको की नियुक्त प्रथम बार ही की गयी है तथा नगरीय निकायों में नगर नियोजकों के कार्य शक्तियाँ, कर्त्तव्य व कृत्य के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश व दिशा निर्देश जारी नही किये गये है। अतः उक्त परिपेक्ष में नगरीय निकायों में सुव्यवस्थित, सुचारू कार्य संचालन एवम् प्रकरणों के सफल निस्तारण हेतु नगर नियोजकों का कार्य सम्पादन निम्नानुसार एतत्द्वारा निर्धारित किया जाता है।

नगर नियोजको द्वारा किये वाला कार्य एवं दायित्व :–

- नगर नियोजन से सम्बंधित समस्त प्रकरणों मे नगर नियोजन सम्बंधित तकनीकी परीक्षण एवं राय।
- नगर नियोजन विभाग और नगरीय निकाय के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- नगर का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान/जोनल प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान, ट्रान्सपोर्ट प्लान/बहुउद्देशीय योजनाऐं आदि।
- अमृत योजना के अन्तर्गत GIS आधारित मास्टर प्लान कार्य।
- अमृत योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत शहर के पार्को, सडकों, चोराहों आदि का विकास व सौन्दर्यकरण योजना तैयार करने में सहयोग करना।
- मास्टर प्लान में सम्मिलित राजस्व ग्राम के खसरा मानचित्रों के डिजिटाईजेशन एवं मास्टर प्लान पर सुपर इम्पोजीशन।
- नगर के वार्ड मैप GIS आधारित कर, वार्डों के सुनियोजित विकास हेतु योजनाऐं तैयार करना।
- सिटी डवलेपमेंट प्लान।
- सिटी सेनिटेशन प्लान।
- भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बंधित प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण एवं राय।
- 500 वर्ग मी. आवासीय एवं 50 वर्ग मी. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूखण्डो पर निर्माण हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन एवं नियमन सम्बंधी प्रकरणों का निस्तारण।
- स्थानीय निकाय स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन समिति के सदस्य का दायित्व।
- स्थानीय निकाय स्तर पर भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति के सदस्य सचिव का दायित्व।
- ले–आउट प्लान समिति के सदस्य सचिव का दायित्व एवं 5.0 एकड क्षैत्रफल तक के कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि के ले–आउट प्लान का, अनमोदन, 5.0 एकड़ क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के ले–आउट प्लान का अनुमोदन वरिष्ठ नगर नियोजक स्वायत्त शासन विभाग, निदेशालय जयपुर द्वारा किया जावेगा।
- राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डीग जोन एवं स्ट्रीट वेन्डर्स योजना बनाना।
- हेरीटेज संरक्षण सम्बंधी योजना तैयार करना।
- समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य कार्य।

उक्त समस्त कार्य नगर नियोजको द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में किया जावेगा तथा प्रत्येक माह कार्य प्रगति रिपोर्ट निर्देशालय को निर्धारित प्रोफोर्मा में प्रेषित की जावेंगी। वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की नगर नियोजन सेवा के प्रभारी अधिकारी होगे एवं नगरीय निकायो के नगर नियोजको का कार्य वरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय द्वारा नियन्त्रित किया जावेगा।

साथ ही उक्त पदस्थापित नगर नियोजको को उनके सम्बंधित जिले में स्थित समस्त नगरीय निकायों में नगर नियोजन संबंधी कार्यों हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

File No.:- F.59 DLB/STP/न.नि.कार्य.(73)/17/ 1251-68 दिनांक. 01-03-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक (प्रशासन), निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सहायक निदेशक (सर्तकता), निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
13. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका (समस्त)।
15. नगर नियोजन सहायक (समस्त)।
16. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
17. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

01/03/2017
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक

C:\Users\PC\Desktop\Computer Data\New folder (3)\f\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx